राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 932 / 2023 दिनांक 20.09.2023

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :— मु.न. 932 / 2023 अनवान मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण शर्मा निवारी रामगढ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ए. के निर्णय की पालना के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में ग्राम रामगढ प. ह. रावतखेडा में स्थित कृषि भूमि संवत 2075—2078 में स्थित खाता संख्या 42 की आ.न. 90 / 1, 94 / 4, 123,124,127,131,132 / 1,132 / 2,133,134 कुल किता 10 रकबा 2.9866 हैक्टेयर में खातेदार ममता कुमारी पुत्री कल्याण के बजाय मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण जाति ब्राहमण दर्ज किये जाने का आदेश हुये है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (शाहपुरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 932 / 2023
दायर दिनांक :– 25.08.2023

अनवान

मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण शर्मा निवासी रामगढ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा (राजस्थान)

प्रार्थीया.........

बनाम

1- तहसीलदार सा. जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री ओम प्रकाश मुन्दडा, एडवोकेट प्रार्थी,

:: **आदेश** :: दिनांक 20.09.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामगढ प.ह रावतखेडा भु. अ. क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में आ.न. 90/1, 94/4, 123, 124, 127, 131,132/1,132/2,133,134 कुल किता 10 रकबा 2.9866 हैक्टेयर खातेदार दुर्गेश कुमार पुत्र कल्याण 1/5 निवासी ग्राम रामगढ प.ह रावतखेडा भु. अ क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर, दिनेश कुमार पुत्र कल्याण 1/5 निवासी ग्राम रामगढ प.ह रावतखेडा भु. अ क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर, प्रेम देवी पत्नी कल्याण निवासी ग्राम रामगढ प.ह रावतखेडा भु. अ क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर 1/5, मधु देवी पुत्री कल्याण 1/5 निवासी ग्राम घटियाली तहसील सावर, ममता कुमारी पुत्री कल्याण 1/5 निवासी जहाजपुर जिला शाहपुरा (राजस्थान) के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जिसमे वादीया ममता कुमारी पिता कल्याण शर्मा की बजाय मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण शर्मा दर्ज करवाना चाहती है। ग्राम रामगढ प.ह रावतखेडा भु. अ क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा में आ.न. 90/1, 94/4, 123, 124, 127, 131, 132/1,132/2,133,134 कुल किता 10 रकबा 2.9866 हैक्टेयर खातेदार पैरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी खातेदार ममता कुमारी पिता कल्याण शर्मा के नाम दर्ज है। मीनाक्षी शर्मा(ममता कुमारी) पुत्री कल्याण शर्मा उक्त वर्णित कृषि भूमी पर अबाध्य रुप से अपनें हिस्सें पर कब्जा कास्त होकर अबाध्य रुप से लगातार कास्त करवाती आ रहां हैं। वादी के नाम विरासत से खाता रद्दोबदल के समय मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण शर्मा की बजाय ममता कुमारी पिता कल्याण शर्मा कर दिया जो कि राजस्व अधिकारीयो ने बिना विधीक जानकारी कियें ममता कुमारी पिता कल्याण नाम सें खाता खोला गया जो विधिक भूल रही जब की वादीया के समस्त सरकारी दस्तावेज जेंसें राशनकार्ड, जनाधार कार्ड आधारकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वी की मार्कशीट दस्तावेज सही नाम इत्यादी में सही नाम मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण शर्मा दर्ज है। राजस्व रेकार्ड मे ममता कुमारी पिता कल्याण कें नाम से खाता खोला गया जिससे वादीया कों सरकार से प्राप्त किसान सहायता योंजना व अन्य मदद से वंचित रहना पड़ता है।

दिनाक 01.08.2023 कों वादीया पैरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी पर कृषि ऋण वास्तें बैंक से सर्म्पक किया तों राजस्व रेकार्ड मे ममता कुमारी पिता कल्याण नाम होंने व जबकी पहचान हेतु समस्त सरकारी दस्तावेजों में जेंसें राशनकार्ड आधारकार्ड इत्यादी में मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण शर्मा होने से बैंक नें कृर्षि भूमी पर कृषि ऋण देने से मना कर दिया जिससें वादीया कारण उत्पन होकर जारी हैं। वादीया द्वारा

...दी के विरूद्व किसी प्रकार दाद अनुतोष नही चाहा हैं। केवल वादीया ममता कुमारी पिता कल्याण की ...य मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण शर्मा दर्ज करवाना चाहती है। उक्त वर्णित कृषि भुमी मे वादी का नाम ममता ...मारी पिता कल्याण के नाम से खाता खोला गया जिसें वादीया ममता कुमारी पिता कल्याण की बजाय मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण शर्मा दर्ज करवाना चाहती है। अतः राजस्व रेकार्ड में ममता कुमारी पिता कल्याण के बजाय मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण शर्मा दर्ज कियें जाने की राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित कराना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनाक 15.09.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है, जिसमें प्रार्थिया के दस्तावेज जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की अंकतालिका में प्रार्थिया का नाम मीनाक्षी शर्मा होना बताया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में ममता कुमारी पुत्री कल्याण ब्राहमण के बजाय मीनाक्षी शर्मा शुद्व किया जाना उचित बताया गया।

वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का नाम ममता कुमारी पिता कल्याण के बजाय मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण शर्मा नाम में शुद्धि कराये जाने के संबध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थीया का नाम ममता कुमारी पिता कल्याण के बजाय मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण जाति ब्राहमण दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है, जिससें न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रामगढ प.ह रावतखेडा भु. अ क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में आ.न. 90/1, 94/4, 123,124,127,131,132/1,132/2,133,134 कुल किता 10 रकबा 2.9866 हैक्टेयर में खातेदार ममता कुमारी पिता कल्याण के बजाय मीनाक्षी शर्मा पुत्री कल्याण जाति ब्राहमण दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

20.9.23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।